देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR ™
w w w .jaw abdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2024/palm/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 6 अप्रैल 2024

आबकारी विभाग मे इंस्पेक्टरराज!!!

अपने चहेते शराब ठेकेदार को उपकृत करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने से भी नहीं आ रहे बाज!!

आबकारी आयुक्त के अनुसार पिछले साल जो दुकान जिस स्थान पर है उसी स्थान पर उसका लाईसेंस रीन्यू करने के आदेश!!

लेकिन आबकारी विभाग जयपुर शहर के वृत साउथ ईस्ट मे तैनात आबकारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राणावत के इशारों चल रहा दुकाने अदला बदली करने का खेल!!!

अपने चहेते शराब ठेकेदार को फायदा पहुचाने के लिए महंगी दुकान की जगह सस्ती दुकान लाने की की जा रही तैयारी!!!

क्या आबकारी आयुक्त करेंगे अपने आदेशों का मखौल उड़ाने वाले अधिकारियों पर सख्ती!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मे आबकारी विभाग जयपुर शहर के वृत साउथ ईस्ट की दुकान संख्या 6 का संचालन लाईसेंसी बजरंग सिंह शेखावत द्वारा 9/40 पालिका मार्केट,मालवीय नगर पर किया जा रहा था|चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी विभाग की आबकारी नीति 2024-25 के अनुसार उक्त लाईसेंसी द्वारा दुकान का रीन्यू नहीं करवाने पर आबकारी विभाग द्वारा इस दुकान संख्या 6 का विधिवत ऑक्शन किया गया|ऑक्शन मे इस दुकान को लाईसेंसी शिवभाग कंवर द्वारा कुल रुपये 29927453/-मे उठाई गई जो कि पिछले वर्ष चलाई गई दुकान से 25 लाख रुपये अधिक है|

आबकारी विभाग के आदेशों के अनुसार जो दुकान पिछले साल जिस स्थान पर संचालित रही है,उसे राजस्व हित मे नए वित्तीय वर्ष मे उसी स्थान पर रीन्यू करने के आदेश जारी किए गए है|

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

"आबकारी भवन", 2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

Fax 0294-2523124, Phone (Section)-2527086 EXT. (137) E-mail settlement.ho.excise@rajasthan.gov.in,

क्रमांक प. 22 (ए)(General Direction-Location-3253) सेटल/आब/2024/730 दिनांक 05.04.2024.

जिला आबकारी अधिकारी,
समस्त।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कम्पोजिट मदिरा दुकानों की लोकेशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित मदिरा दुकानों की वर्तमान लोकेशन को स्थानान्तरित/परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है, इस संबंध में निर्देश प्रदान किये जाते है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये नवीनीकृत/ई–ऑक्शन के जरिये संचालित मदिरा दुकान की लोकशन परिवर्तन नहीं किया जाना है।

किन्हीं अपरिहार्य कारणों एवं राजकीय राजस्व की दृष्टि से किसी मदिरा विशेष दुकान की लोकेशन परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो किसी अन्य लाईसेंसधारी का व्यवसाय प्रभावित नहीं होना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम–75 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आप स्वतन्त्र है।

मुख्यालय के इस पत्र के सदंर्भ में आप द्वारा लोकेशन परिवर्तन किये जाने से संबधित प्रदान की गई स्वीकृतियों का जिलेवार एकजाई विवरण मुख्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

(अंश दीप)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

क्रमांक प. 22 (ए)(General Direction-Location-3253) सेटल/आब/2024/730 दिनांक 05.04.2024.
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त।
2. जिला आबकारी अधिकारी, ... को उनके पत्र क्रमांक........दिनांक............... के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

RajKaj Ref
6520696

आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ansh Deep
Designation : Commissioner
Date :05-04-2024 04:52:32

इस आदेश को मद्देनजर रखते हुए,लाईसेंसी शिवभाग कंवर द्वारा इस वृत की महंगी दुकान को खरीदा गया था|लेकिन इस मामले मे जोन के आबकारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा अपने चहेते लाईसेंसी बजरंग सिंह शेखावत को लाभ पहुचाने के लिए उसकी अनयंत्र जोन की दुकान को इस लॉकेशन पर लगवाने का खेल खेला जा रहा है|आबकारी विभाग के निरीक्षक और शराब ठेकेदार की मिलीभगत से अन्य ठेकेदारों मे भी रोष व्याप्त है|इस मामले मे लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष निलेश मेवाड़ा का कहना है कि यही आबकारी विभाग मे चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने का खेल चलता रहा तो अन्य दुकाने घाटे मे जाने लगेगी|

देखना यह है कि यह मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग के आला अधिकारी आबकारी निरीक्षकों के इंस्पेक्टरराज को कैसे खत्म करते है|